भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 214

उत्तर देने की तारीख-15.12.2025

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उच्च शिक्षा से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं की कमी

†***214. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिंगोली जिला उच्च शिक्षा के लिए अवसंरचना/सुविधाओं की भारी कमी का सामना कर रहा है और वहां तकनीकी, व्यावसायिक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या भी सीमित है, जिसके फलस्वरूप छात्रों को अन्य जिलों में पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता में सुधार लाने के लिए हिंगोली में नए सरकारी महाविद्यालयों, कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने या मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिंगोली के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कक्षाओं, डिजिटल शिक्षण सुविधाओं और शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा जिले में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण की सहायता का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों/किए गए उपायों का ब्यौरा और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उच्च शिक्षा से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं की कमी' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है।
एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 7003 उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं। नवीनतम एआईएसएचई डेटाबेस के अनुसार, हिंगोली ज़िले में कुल 87 उच्च शिक्षा संस्थान हैं।

सरकार केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का कार्यान्वयन कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण में 'प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)' के रूप में शुरू किया है। शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इसके लिए 12,926.10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी जाती है, जिसमें छात्रावासों, शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा तक पहुँच और इसकी गुणवत्ता सुधारने हेतु आवश्यक अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। महाराष्ट्र में, योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 144 परियोजनाओं के लिए कुल 1431.31 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिंगोली ज़िले में 2 महाविद्यालयों को 9 करोड़ रूपए की कुल राशि की सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें पूर्ववर्ती मॉडल डिग्री कॉलेज घटक के अंतर्गत एक नए मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एचईआई को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ़) के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया है। यह सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोकेशनल डिग्री कार्यक्रमों तथा 'दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन एवं कुशल मानव क्षमताओं तथा आजीविका उन्नयन केंद्रों' की योजना के माध्यम से किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने "उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम 2025" के लिए दिशानिर्देश" भी बनाए हैं, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों में दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सभी विषयों में कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं।

यह विभाग देश में विभिन्न एचईआई में स्थापित 151 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों (एमएमटीटीसी) के माध्यम से मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें से 15 एमएमटीटीसी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में हिंगोली ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों के संकाय सदस्यों सहित लगभग 42,346 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को दूर करने और ऑनलाइन अधिगम तक पहुँच में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। यूजीसी ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 स्वयं गैर-प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर एमओओसी को हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया है। अनुवादित सामग्री का विवरण http://www.ugceresources.in पर उपलब्ध है। यूजीसी ई-रिसोर्स पोर्टल, ई-पीजी पाठशाला से ई-सामग्री तथा यूजीसी एमओओसी पोर्टल को digitalseva.csc.gov.in के साथ एकीकृत किया गया है। यह मंच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जाता है।

पीएम-उषा के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षा में पहुँच, निष्पक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकलाप कर सकते हैं। इनमें ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और स्वयं/ एमओओसी जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों का संवर्धन; स्मार्ट कक्षाओं/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं/अनुसंधान प्रयोगशालाओं/डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण तथा प्रतिष्ठित जर्नल्स की सदस्यता; और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ): उच्चतर शिक्षा विभाग 'प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन जो कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना' (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस) है, का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य के 13,837 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 18.34 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति योजना (एनएसपीएस)' का कार्यान्वयन भी उच्च अध्ययन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर रहा है। एनएसपीएस के तहत वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य के 140 लाभार्थियों को 2.1 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ जैसे एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा), एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा), एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा), एआईसीटीई स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा एआईसीटीई

डॉक्टोरल फैलोशिप (एडीएफ़) भी कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य के 3,268 लाभार्थियों को 16.47 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश पाते हैं और शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं हैं। इसके अलावा, 8 लाख रूपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए 3% ब्याज छूट भी प्रदान की जाती है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा विद्यालक्ष्मी पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, महाराष्ट्र राज्य के छात्रों के लिए कुल 4,559 शिक्षा ऋण के लिए कुल 724.73 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

*****